

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी.- 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 173/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-15.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 15.05.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- महाराजगंज: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 08.05.25 को वादिनी ने थाना महाराजगंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी जमुना गुप्ता पुत्र राम शंकर गुप्ता द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 11 वर्ष के साथ दुष्कर्म किया गया जिससे आवेदिका की पुत्री गर्भवती हो गयी व विपक्षी से शिकायत करने पर जमुना के माता पिता द्वारा वादिनी मुकदमा को मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा की लिखित सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 65(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट बनाम 1. जमुना पुत्र शंकर 2-शंकर पुत्र चमरु 3-उर्मिला पत्नी शंकर निवासी गण बुढावेहिसामुद्दीनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 15.5.25 को प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से वाछित अभियुक्त 1. जमुना गुप्ता पुत्र राम शंकर गुप्ता निवासी बुढावेहिसामुद्दीनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को सरदहाँ बाजार बडौदा यू0पी0 बैंक के पास से दिनांक 15.5.25 को समय 07.00 सुबह जुर्म से अवगत कराते हुये नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- जमुना गुप्ता पुत्र रामशंकर गुप्ता निवासी बुढावेहिसामुद्दीनपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 144/25 धारा 65(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।



02.थाना- सिधारी: धोखाधड़ी से जमीन बेचकर फर्जी कूट रचित खतौनी देना वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 07.05.2025 को वादी मुकदमा निर्भय सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह सा0 नरहन खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के शिकायत प्रकोष्ठ प्रार्थना पत्र बावत प्रतिवादीगण 1.अभिनव सिंह उर्फ मन्टू सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह सा0 शान्ति पठ मोहल्ला तिवारीपुर थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ 2.ऋतिका सिंह पत्नी अभिनव सिंह सा0 रानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 3.साक्षी सिंह पुत्री अनुग्रहण नरायण सिंह सा0 रानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 4. अनुग्रहण नरायण सिंह पुत्र अज्ञात सा0 रानीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा छल एवं धोखा धड़ी करके जमीन बेचने के नाम पर कुल 35 लाख रुपये प्राप्त कर लेने एवं फर्जी कूट रचित खतौनी की नकल दिये जाने तथा जमीन बैनामा न करने एवं पैसा वापस मांगने पर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। कि प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0216/2025 धारा 419/420/467/468/471/406/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर सिधारी द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 15.05.2025 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभिनव सिंह उर्फ मन्टू पुत्र जयप्रकाश सिंह ग्राम शान्ति मठ तिवारीपुर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को हाइडिल चौराहे के पास से समय 07.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।



03.थाना दीदारगंज: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 13.05.2025 को वादिनी मुकदमा को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व शादी करने से इन्कार करने दिया जिसके सम्बन्ध में वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 120/25 धारा 69,351(3) BNS बनाम मंगेश कुमार गौतम पुत्र स्व0 घनश्याम निवासी मूहचुरा(बूँदा) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत करायी थी जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 15.05.2025 को उ0नि0 करमुल्ला अली मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मंगेश कुमार गौतम पुत्र स्व0 घनश्याम निवासी मूहचुरा(बूँदा) थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष को फुलेश बाजार के पास से समय करीब 6.10 बजे नियमानुसार फुलेश बाजार (जैगहा मोड) से हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।



04.थाना- कोतवाली: हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि वादी अमन सिंह S/O अवनीश कुमार सिंह निवासी मोहल्ला आराजीबाग आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दि. 30.3.25 को शाम को मै चौक पर देवी जी के मंदीर दर्शन करने हेतु निकलकर एक परिचित श्री ज्ञान प्रकाश श्रिवासतवा के दुकान पर बैठा था तभी मंजीत सिंह अपने नं0 86018XXXXX से मेरे नं0 8299XXXXXX पर काल किया मैने उससे बताया की मै चौक पर श्री ज्ञान प्रकाश के दुकान पर बैठा हूँ। वहा आकर मंजीत सिंह और हर्षीत मेहलोत्रा आकर मुझे मां- बहन कि गाली देने लगे और भीड़ इकट्ठा कर लिया जान मारने कि नियत से मंजीत ने गला दबाकर जान से मारने कि नियत से मंजीत ने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया तथा हर्षीत कड़ीया उठाकर सर पर जान से मारने का प्रयास किया जो मेरे आख मे आ लगी तथा आंख से धुंधला दिख रहा है। रवी गुप्ताजो कि भीड़ा का भाग था व अन्य 10-12 लोग पीठ पर सिने पर हाथ मे मुझे मारा किसी तरह मै अपनी जान बचाकर वहां से भागा और कोतवाली आया। उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 162/25 धारा 3(5),109,115(2),352,351(3) बीएनएस दि. 30.3.25 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 14.5.25 को नि0अ0 रफी आलम, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. पंकज गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी सदावर्ती चौक थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष, 2 . नीरज गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी सदावर्ती चौक थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को समय 20.50 बजे बाजबहादुर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया , अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पंकज गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी सदावर्ती चौक थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष,
- 2 . नीरज गुप्ता पुत्र प्रमोद गुप्ता निवासी सदावर्ती चौक थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 162/25 धारा 3(5),109,115(2),352,351(3) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़



05.थाना कन्धरापुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 15.05.2025 को उ0नि0 लाल सिंह, उ0नि0 रमेश कुमार, उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त विजय विनोद यादव पुत्र राधेश्याम यादव ग्राम कपसा थाना कन्धरापुर आजमगढ करीब उम्र 26 वर्ष. को एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व कुल 3200 रुपये के साथ कपसा मडया जाने वाले रास्ते पर ग्राम पहाडपुर के पास स्थित पुलिया से समय 02.00AM पर गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0 137/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-विनोद यादव पुत्र राधेश्याम यादव ग्राम कपसा थाना कन्धरापुर आजमगढ करीब उम्र 26 वर्ष.

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 137/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर ।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 244/2011 धारा 399/402 भादवि थाना कन्धरापुर
- 2.मु0अ0सं0 246/2011 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर
- 3.मु0अ0सं0 530/2011 धारा 110जी सीआरपीसी थाना कन्धरापुर
- 4.मु0अ0सं0 60/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कन्धरापुर
5. मु0अ0सं0 110/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कन्धरापुर
- 6.मु0अ0सं0 122/2020 धारा 323/504/506/324 भादवि कन्धरापुर
- 7.मु0अ0सं0 254/2022 धारा 323/504/506 भादवि कन्धरापुर
- 8.मु0अ0सं0 101/2025 धारा 318(4)/303(2)/317(2) BNS कन्धरापुर
9. मु0अ0सं0 137/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कन्धरापुर

बरामदगी-

1. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर व 150 रुपये बरामद हुआ ।
2. कुल 3200 रुपये (जिसमे 500 रु 6 नोट व 100 रु के 2 नोट) नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 101/2025 धारा 303(3)/318(4)/317(2)BNS थाना कन्धरापुर



06.थाना अतरौलिया: अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 11.05.2025 को वादी मुकदमा श्री राममिलन पुत्र लक्ष्मीनारायन भारती ग्राम सेखौना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त प्रदीप पुत्र देवनाथ निवासी सेनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के द्वारा उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 160/25 धारा 137(2), 87 बीएनएस बनाम प्रदीप पुत्र देवनाथ निवासी सेनपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 मयंक नारायण सिंह के द्वारा सम्पादित की गयी । दौराने विवेचना अभियुक्त चन्दन प्रकाश पुत्र राजबली निवासी सेखौनी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में लाया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण:

आज दिनांक 15.05.25 को उ0नि0 मयंक नारायण सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चन्दन प्रकाश पुत्र राजबली निवासी सेखौना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष को बस स्टैण्ड अतरौलिया से समय 07.45 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

